कार्यालय अनुमण्डल पदाधिकारी, महुआ (वैशाली)

अल्पकालीन आम नीलामी सूचना

प्रेस-विज्ञप्ति

अधिहरित (Confiscated) वाहनों की नीलामी की सूचना :-

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वैशाली जिला अन्तर्गत विभिन्न थाना काण्डों/उत्पाद वादों में निम्न वाहनों का बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 एवं संशोधित अधिनियम 2018 सुसंगत प्रावधानों के तहत राज्यसात किया गया है। इन वाहनों के आम के नीलामी (Public Auction) दिनांक 17.08.2021 को अनुमण्डल पदाधिकारी, महुआ के कार्यालय प्रांगण में 11:00 बजे पूर्वा० से की जायेगी। नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्तियों को तालिका में वर्णित वाहनों के सामने अंकित अग्रधन की राशि दिनांक 12.08.2021 के 10:30 बजे पूर्वाहन् से कार्यालय के कार्य अवधि तक अनुमण्डल नजारत, अनुमंडल कार्यालय, महुआ के कार्यालय में नकद/बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा कर नाजीर रसीद प्राप्त कर जमा करना होगा। उक्त तिथि को नीलामी के उपरान्त शेष बचे वाहन की नीलामी प्रत्येक सप्ताह के सोमवार एवं मंगलवार को की जायेगी। जिसका अग्रधन की राशि दो दिन पूर्व शनिवार को जमा किया जायेगा।

क्र० सं०	अधिहरण वाद सं०	थाना काण्ड संख्या	वाहन का प्रकार	वाहन निबंधन सं०	वाहन का न्यूनतम मूल्य (रू० में)	अग्रधन की राशि (10 प्रतिशत रू० में)
1	2	3	4	5	6	7
1	समाहर्ता, वैशाली का पत्रांक-742/म०नि०, दिनांक- 17.04.2021	महुआ-113/18	ट्रक	RJ-19GB9669	390000.00	39000.00
2		महुआ-258/17	ट्रक	PB-08BG5116	360000.00	36000.00
3		महुआ-07/17	स्कारपियो	BR-31P7857	110000.00	11000.00

नीलामी के शर्त्ते :-

1. नीलामी में सफल व्यक्ति का अग्रधन नीलामी की तय राशि में समायोजित कर ली जायेगी।
2. नीलामी में सफल व्यक्तियों को नीलामी की राशि नीलामी के दो कार्य दिवसों के भीतर अनुमण्डल नजारत, महुआ में जमा करना होगा अन्यथा अग्रधन की राशि जब्त कर नीलामी द्वितीय नम्बर पर आने वाले वक्ता को दी जायेगी।
3. अधोहस्ताक्षरी द्वारा सफल क्रेता के नाम से वाहन का निबंधन कराने के लिए निमित मात्र नीलामी कर दिये गये जाने का अधिकार पत्र निर्गत किया जायेगा।वाहन संबंधित कागजात बनाने की जिम्मेवारी नीलामी प्राप्त करने वाले क्रेता की होगी। वाहन के सभी प्रकार के भार से (Free of all encumbrances) मुक्त मानते हुए नीलामी की जायेगी। नीलामी की न्यूनतम राशि में किसी प्रकार का कर समाहित नहीं है। नीलामी में सफल क्रेता को नियमानुकूल सभी देय करों का भुगतान करना होगा।
4. नीलामी"जो है, जहाँ है, जैसा है" के आधार पर किया जायेगा तथा किसी प्रकार का परिवहन व्यय देय नहीं होगा।
5. इच्छुक व्यक्ति संबंधित वर्णित स्थलों पर जाकर वाहनों को देख सकते है।
6. अधिकतम डाक बोलने वाले व्यक्ति को ही पूर्ण भुगतान के आधार पर वाहन दिया जाएगा।
7. किसी भी वाहन या सभी वाहनों की नीलामी बिना कारण रद्द करने की शक्ति अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा।

8. उपरोक्त वर्णित वाहनों का नीलामी की प्रक्रिया सम्पन्न होनें तक माननीय न्यायालय द्वारा वाहन विमुक्ति कर दी गई हो तो नीलामी के उपरान्त भी नीलामीक्रेता का दावामान्य नहीं होगा। यदि कोई वाहन स्वामी अपील में गये है अथवा उनके द्वारा पुनरीक्षण वाद दायर किया गया है तो उसका साक्ष्य नीलामी के एक दिन पूर्व तक वाहन स्वामी द्वारा नीलाम कर्त्ता को उपलब्ध कराया जाता है तो वैसे वाहन की नीलामी पर रोक लगा दी जायेगी।

9. विशेष जानकारी के लिए अनुमण्डल पदाधिकारी, महुआ एवं कार्यालय अधीक्षक मद्य-निषेध, वैशाली के कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।

ह0/-

अनुमंडल पदाधिकारी,
महुआ(वैशाली)।

ज्ञापांक 738 म0नि0, दिनांक 23/07/21

प्रतिलिपिः- जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः- अनुमंडल पदाधिकारी, सदर एवं महनार/सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, वैशाली/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, वैशाली/सभी अंचलाधिकारी, वैशाली को सूचनार्थ एवं वृहद् प्रचार-प्रसारार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- जिला परिवहन पदाधिकारी, वैशाली/मोटरयान निरीक्षक, वैशाली/जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी, वैशाली/अधीक्षक मद्य-निषेध, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः- संबंधित सभी थानाध्यक्ष, वैशाली जिला को सूचनार्थ वृहद् प्रचार-प्रसारार्थ प्रेषित।उन्हें निदेशित किया जाता है कि नीलामी की सूचना सूचनापट्ट पर चिपका दिया जाय। साथ हीं संबंधित वाहन के संबंध में कोई व्यक्ति जानकारी प्राप्त करना चाहे, उन्हें अपेक्षित सहयोग प्रदान करेगें।

प्रतिलिपिः- पुलिस अधीक्षक, वैशाली को सादर सूचनार्थ।

प्रतिलिपिः- जिला पदाधिकारी, वैशाली को सादर सूचनार्थ।

23.7.21

अनुमंडल पदाधिकारी,
महुआ(वैशाली)।